[26/7/2019]

प्रश्न सं. [क्र. 3317]

परिशिष्ट "अ"

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मध्यप्रदेश, भोपाल
विधानसभा प्रश्न क्रमांक 3317 अतारांकित (सत्र- जुलाई, 2019)

- नगर पालिका परिषद, शहडोल में मोहन राम मंदिर ट्रस्ट के तालाब का सौंदर्यीकरण कार्य कराया गया। सौंदर्यीकरण कार्य की शिकायत प्राप्त होने पर संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल द्वारा तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की गई, जिसका जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन में प्रथम दृष्टया श्री प्रकाश जगवानी, तत्कालीन अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, शहडोल, श्री विद्याशंकर चतुर्वेदी, तत्कालीन प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, शहडोल, श्री बृजेन्द्र वर्मा, सहायक यंत्री, नगर पालिका परिषद, शहडोल एवं श्री देवकुमार गुप्ता, उपयंत्री, नगर पालिका परिषद, शहडोल उत्तरदायी पाए गए हैं। जांच प्रतिवेदन के आधार पर संबंधितों को आरोप पत्र जारी किया जा रहा है।
- नगर पालिका परिषद शहडोल में मेसर्स कृष्णा इन्टरप्राइजेज, शहडोल द्वारा पेयजल व्यवस्था हेतु **Class-IX DI-150mm** पाईप क्रय की अनियमितता के संबंध में लोकायुक्त संगठन को शिकायत प्राप्त होने पर प्रकरण क्र. **22/39/03-04** में अनियमित भुगतान राशि रू. **440826.00** को तत्कालीन प्रभारी सहायक यंत्री, श्री राघवेन्द्र नारायण सिंह से राशि रू. **146942.00** एवं श्री बब्बू प्रसाद पटेल, तत्कालीन लेखापाल, नगर पालिका परिषद, शहडोल से राशि रू. **146942.00** की वसूली की जा चुकी है एवं श्री बृजेन्द्र वर्मा, तत्कालीन उपयंत्री, नगर पालिका परिषद, शहडोल से राशि रू. **146942.00** वसूली के आदेश जारी किए गए। श्री बृजेन्द्र वर्मा, तत्कालीन उपयंत्री, नगर पालिका परिषद, शहडोल द्वारा वसूली के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर से स्थगन प्राप्त किया गया है, जिससे माननीय न्यायालय के निर्णय अनुसार वसूली की जा सकेगी।

अनुभाग अधिकारी

- नगर पालिका परिषद, शहडोल में मेसर्स स्वास्तिक एसोसिएट शहडोल द्वारा निर्मित स्वास्तिक ग्रीन सिटी कालोनी में गंभीर अनियमितता किए जाने के संबंध में लोकायुक्त कार्यालय म.प्र. भोपाल को शिकायत प्राप्त होने से जांच प्रकरण क्र. 552/16 दर्ज किया गया है। प्राप्त शिकायत में वर्णित तथ्यों की जांच कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रीवा संभाग से संचालनालय के पत्र क्र.शिका./छ./19646/2016 दिनांक 23-12-2016 से चाहा गया है। प्रतिवेदन प्राप्त होना अपेक्षित है।
- उपरोक्त कार्यवाही पश्चात दोषी पाए गए अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
- शहडोल संभाग की नगरीय निकायों में पदस्थ सहायक यंत्रियों में से वरिष्ठ सहायक यंत्री श्री बृजेन्द्र वर्मा, नगर पालिका परिषद, शहडोल को संभागीय कार्यालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, शहडोल संभाग के कार्यपालन यंत्री का प्रभार दिया गया है।
- उपरोक्त शिकायतों की जांच उच्च स्तर पर प्रचलित होने से सहायक यंत्री द्वारा जांच को प्रभावित करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। जांच उपरान्त दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

Executive Engineer
Urban Administration and Development
M. P. Bhopal

अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग